न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 30 / 2024
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 01.03.2024

निर्णय दिनांक : 06.02.2025

उनवान

1. जगदीशचन्द्र दत्तक पुत्र पोखर जाति माली निवासी गोरेला कुंआ, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

वादी

–:बनाम:–

1. लेहरी पत्नी स्व. पोखर जाति माली
2. देउ पुत्री स्व. पोखर जाति माली
3. रेखा पुत्री स्व. पोखर जाति माली
   सभी निवासीयान गोरेला कुंआ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर से :– **अधिवक्ता धर्मेश शर्मा**
प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से :– **अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गोरेला कुंआ पटवार हल्का ओलनाखेडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 111 पुराना 133 के आराजी नम्बर 143, 144, 145, 148, 149, 150, 246, 263, 264, 265, 269, 357, 258, 376, 377 कुल किता 15 रकबा 5.6100 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित भूमियां वादी के दत्तक पिता एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03 के पिता स्व. पोखर की थी। स्व. पोखर एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से वादी को गोद लिया था। वादी को जब गोद लिया गया था उस समय वादी की उम्र 10 वर्ष थी तथा स्व. पोखर द्वारा वादी को गोद पुत्र लेते समय सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार गोद मे बिठा कर गोद लेने के सारे रिति रिवाज सम्पन्न किये थे। गोद लेने के बाद वादी गोद पुत्र की हैसियत से प्रतिवादीगण एवं स्व. पोखर के साथ निवास करता आया है। स्व. पोखर की मृत्यु के बाद उनके सामाजिक क्रियाकर्म भी वादी द्वारा ही किये गये एवं पोखर की पगडी भी वादी को ही बंधवाई गई। स्व. पोखर की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण केवल प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर ही स्वीकृत

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

कर राजस्व रेकार्ड मे अंकन कर दिया गया जबकि वादी पोखर का दत्तक पुत्र है एवं दत्तक पुत्र की हैसियत से वादी का नाम भी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिये था, किन्तु उस समय वादी के पक्ष मे कोई रजिस्टर्ड गोद नामा नही होने से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दत्तक पुत्र की हैसियत से नामान्तकरण स्वीकृत नही किया गया, इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 02.01.2015 को वादी के पक्ष मे रजिस्टर्ड गोद नामा निष्पादित करवाया गया, क्योकि वादी को जिस समय गोद रखा गया था उस समय कानून की जानकारी नही होने से गोदनामा निष्पादित नही करवाया गया। उक्त वर्णित भूमि मे दत्तक पुत्र के अनुसार हक अधिकार प्राप्त है, इसलिये वादी इस आशय की घोषणा कराने का अधिकारी है, राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम पर 1/16 हिस्सा दर्ज कराने का अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर 1/16–1/16 हिस्सा दर्ज किया जावे। वादी अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खा कमा रहा है। वादी द्वारा तहसील मे आकर उक्त भूमि के खाते की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज चल रही है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें कि उक्त वर्णित भूमि मे वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से हक, अधिकार प्राप्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का वादग्रस्त भूमि मे समान रूप से बराबर–बराबर हक घोषित किया जावे, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर 1/16–1/16 हिस्सा अंकन किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की तरफ से अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास ने वकालत नामा एवं स्वीकारात्मक जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में विरोधाभास जवाब प्रस्तुत नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई तथा वादी–प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमियां वादी के दत्तक पिता एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03 के पिता स्व. पोखर की थी। स्व. पोखर एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से वादी को गोद लिया था। स्व. पोखर की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण केवल प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर ही स्वीकृत कर राजस्व रेकार्ड मे अंकन कर दिया गया जबकि वादी पोखर का दत्तक पुत्र है एवं दत्तक पुत्र की हैसियत से वादी का नाम भी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना चाहिये था, किन्तु उस समय वादी के पक्ष मे कोई रजिस्टर्ड गोद नामा नही होने से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दत्तक पुत्र की हैसियत से नामान्तकरण स्वीकृत नही किया गया, इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 02.01.2015 को वादी के पक्ष मे रजिस्टर्ड गोद नामा निष्पादित करवाया गया। वादी अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खा कमा रहा है। उक्त वर्णित भूमियो का राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर 1/16–1/16 हिस्सा अंकन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आपेट

किया जाने का आदेश फरमाये। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये सहमती जाहिर की जिससे प्रतिवादी की सहमति अनुसार वाद स्वीकार करने योग्य है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड में अंकन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादी की सहमति से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गोरेला कुंआ पटवार हल्का ओलनाखेडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 111 पुराना 133 के आराजी नम्बर 143, 144, 145, 148, 149, 150, 246, 263, 264, 265, 269, 357, 258, 376, 377 कुल किता 15 रकबा 5.6100 हैक्टेयर भूमि में 1/16 वा हिस्सा वादी के नाम खातेदारी का घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर 1/16–1/16 हिस्सा अनुसार दर्ज किया जाकर अंकन किया जावे। तद्नुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **06.02.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 30/2024
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 01.03.2024

निर्णय दिनांक : 06.02.2025

उनवान

1. जगदीशचन्द्र दत्तक पुत्र पोखर जाति माली निवासी गोरेला कुंआ, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

वादी

–:बनाम:–

1. लेहरी पत्नी स्व. पोखर जाति माली
2. देउ पुत्री स्व. पोखर जाति माली
3. रेखा पुत्री स्व. पोखर जाति माली
   सभी निवासीयान गोरेला कुंआ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर से :– अधिवक्ता धर्मेश शर्मा
प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से :– अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास

मे इस आशय में दिनांक 06.02.2025 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड में अंकन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादी की सहमति से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गोरेला कुंआ पटवार हल्का ओलनाखेडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 111 पुराना 133 के आराजी नम्बर 143, 144, 145, 148, 149, 150, 246, 263, 264, 265, 269, 357, 258, 376, 377 कुल किता 15 रकबा 5.6100 हैक्टेयर भूमि में 1/16 वा हिस्सा वादी के नाम खातेदारी का घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम पर 1/16–1/16 हिस्सा अनुसार दर्ज किया जाकर अंकन किया जावे।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आज दिनांक को 06.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)